27-3-18	पत्रावली मूल अपील के साथ साथ पेश हुई। अपीलार्थी के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में तलब की गई मौका रिपोर्ट उप तहसीलदार, कालन्द्री के पत्रांक 136 दिनांक 26.3.2018 के द्वारा प्राप्त हुई, जो मूल अपील पत्रावली के साथ नत्थी की गई। चूंकि मूल अपील प्रकरण में आज बहस सुनी जाकर मूल अपील प्रकरण में आज निर्णय हो चुका है। ऐसी स्थिति में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अति. जिला कलेक्टर, सिरोही		